न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 20/2026

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. उदाराम पुत्र सिमरथा 2. किशनाराम पुत्र सिमरथा 3. ठाकराराम पुत्र सिमरथा 4. नेनाराम पुत्र सिमरथा 5. मोटाराम पुत्र सिमरथा 6. चौथा पुत्र लिछमणा जातियान जाट निवासी भवानीपुरा तहसील सेड़व जिला बाड़मेर।		1. तहसीलदार सेड़वा 2. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी। 3. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी लिमिटेड शाखा धोरीमन्ना।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता

प्रार्थी अधिवक्ता –श्री श्रीराम विश्नोई

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23/03/2026

प्रार्थीगण उदाराम पुत्र सिमरथा जाति जाट निवासी भवानीपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा भवानीपुरा पटवार क्षेत्र भैरूड़ी, भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा में खसरा नंबर 258/195 रकबा 0–4290 हैक्टेयर, खसरा संख्या 223/195 रकबा 12–2377 हैक्टेयर, खसरा संख्या 255/195 रकबा 0–8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 254/195 रकबा 11·1207 ~~4–0482~~ हैक्टेयर के आए हुए है। नकल, वर्तमान जमाबंदी प्रति के साथ संलग्न है। मूल खसरा संख्या 195 की भूमि है। उक्त भूमि का बंटवाड़ा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा लोक अदालत कोर्ट कैंप में अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवान नेनाराम वगैरा बनाम [illegible] 25.05.2015 को पक्षकारों में सहमति विभाजन, कब्जे काश्त के अनुसार हुआ [illegible] का अपनी–अपनी भूमि पर कब्जा–काश्त एवं रहवासी ढाणी, बोरवेल, टांके [illegible] हुए है। उक्त भूमि में खातेदारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:13 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

का आपस में बंटवाड़ा की नक्शा में तरमीम करते समय लोक अदालत कोर्ट कैंप नक्शा तैयार किया गया, जिसमें हल्का पटवारी बिना कब्जा–काश्त का मौका देखे अपनी मनमर्जी से नक्शा बनाकर लोक अदालत में पेश किया और बंटवाड़ा का आदेश करवाया गया। प्रार्थीगण अनपढ होने के कारण दिशा एवं नक्शा में की गई तरमीम का ज्ञान नहीं रहा और पटवारी ने बोला कि आपके कब्जे काश्त अनुसार आपकी तरमीम का नक्शा बनाकर पेश किया हुआ है, लेकिन बंटवाड़ा का नक्शा पेश हुआ उसमें हमारी आपस में तरमीम कब्जे–काश्त के विपरीत स्थान पर कर दी, जो मौके पर कब्जा–काश्त के विपरीत है। वर्तमान में प्रार्थीगण का अपनी–अपनी भूमि पर कब्जा–काश्त है, जो निरंतर लगभग 50–60 वर्षों से चलता आ रहा है एवं रहवासी ढाणी, बोरवेल, टांके इत्यादि बने हुए है। प्रार्थीगण के भूमि की तरमीम गलत हो जाने से आपस नाप इत्यादि करने से एक–दूसरे के घर, ट्यूबवेल वगैरा एक दूसरे के खसरे में आ जाते है। मौके पर विप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार उक्त तरमीम गलत होने से खारिज कर पुनः मौके एवं कब्जा–काश्त अनुसार व परिशिष्ट 'अ' के अनुसार तरमीम दुरुस्त की जावें। आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में जो भूमि बरंग केसरिया के रूप में दर्शाई गई है, वहां प्रार्थीगण संख्या 01 से 05 की तरमीम करनी है एवं बरंग लाल में दर्शाए अनुसार प्रार्थीगण संख्या 06 की तरमीम करनी है, जिस हेतु आवेदन वास्ते तरमीम दुरुस्ती का प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तरमीम दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा भवानीपुरा पटवार क्षेत्र भैरूड़ी, भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 258/195 रकबा 0–4290 हैक्टेयर, खसरा संख्या 223/195 रकबा 12–2377 हैक्टेयर, खसरा संख्या 255/195 रकबा 0–8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 254/195 रकबा 11–1207 हैक्टेयर, खसरा संख्या 256/195 रकबा 4–0469 हैक्टेयर की लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को खारिज कर मौके पर कब्जा–काश्त व संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाए अनुसार दुरुस्त करवाने का आदेश फरमावें।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.22 19:42:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2026/41 दिनांक 11.02.2026 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2026/507 दिनांक 17.02.2026 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **"मौके पर ग्राम भवानीपुरा के खसरा नंबर (मूल खसरा 194, 195) का आपसी सहमति से दिनांक 29.05.2015 को लोक अदालत कोर्ट कैम्प भैरूड़ी में परिशिष्ट "अ" अनुसार विभाजन करवाया गया था। मौके पर काश्तकारों को दिशाज्ञान न होने के कारण कब्जा काश्त अनुसार विभाजन नहीं हुआ। वर्तमान में मौका एवं कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ट "ब" तैयार कर तरमीम दुरुस्त करने हेतु समस्त खातेदारों की आपसी सहमति के अनुसार परिशिष्ट 'ब' तैयार किया गया। मोके पर मौका एवं नामान्तरकरण व लट्ठा ट्रेस से मिलान कर पूर्णतया जांच कर परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित है। फर्द मौका मौके पर तैयार कर उपस्थित मौतबरान को पढकर सुनाई गई एवं हस्ताक्षर करवाए गए।"**

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 20/2026 उनवान उदाराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेडवा वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत [illegible] योग्य प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन अनुसार मौजा भवानीपुरा पटवार क्षेत्र भैरूड़ी, भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा में खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

...7/195 रकबा 0–4290 हैक्टेयर, खसरा संख्या 223/195 रकबा 12–2377 हैक्टेयर, खसरा संख्या 255/195 रकबा 0–8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 254/195 रकबा 11–1207 हैक्टेयर, खसरा संख्या 256/195 रकबा 4–0469 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 16.02.2026 के संलग्न दर्शित परिशिष्ट "ब" अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित नक्शे परिशिष्ट 'ब' अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू. अ./2026/507 दिनांक 17.02.2026 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.02.2026, खसरा नक्शा, परिशिष्ट 'ब' व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा, जिला– बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 507 दिनांकः– 17/02/2026

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राजस्व वाद संख्या 20 / 2026 अनवान उदाराम वगैरह बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत RLR धारा 131,136 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 20 / 2026 अनवान उदाराम वगैरह बनाम तहसीलदार सेड़वा में मौजा भवानीपुरा के खसरा 194,195 के अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR ACT में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अ. निरीक्षक बामड़ला द्वारा दिनांक 16.02.2026 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार पेश गई । जो इस पत्र के सलंग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

17.02.2026

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:13 IST
Reason: SelfAttested

LR

16.02.20

सेवामें

श्रीमान तहसीलदार साहब

सेड़वा जिला - बाड़मेर

विषय - राजस्व आवेदन सं. 20/2026 की मौका जांच रिपोर्ट पेश करने बाबत।

महोदयजी

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान न्याय उपखंड अधिकारी सेड़वा के राजस्व वाद सं. 20/2026 में कब्जा काश्त अनुसार फर्द मौका तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमानजी की सेवा में पेश है।

16/2/26

ILR बामड़ला

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:13 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका

प्रथम कॉपी

आज दिनाँक 16/2/2026 को कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा के आदेश क्रमांक /भू.अ./ 484 दिनांक 13/2/2026 की पालना में माननीय उपखंड अधिकारी सेड़वा (बाड़मेर) के राजस्व वाद सं. 20/2026 अनवान् उदाराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा के अन्तर्गत धारा 131, 136 ACT 1956 अनुसार हल्का पटवारी गेहूंड़ी के साथ मौके पर पहुँचा।

मौके पर ग्राम भवानीपुरा के खसरा नं. (मूल - 194,195) का आपसी सहमति से दिनांक 29/5/2015 को लोक अदालत कोर्ट कैम्प गेहूंड़ी में परिशिष्ट 'अ' अनुसार विभाजन करवाया गया था। मौके पर काश्तकारों को दिशाज्ञान न होने के कारण कब्जा काश्त अनुसार विभाजन नहीं हुआ। वर्तमान में मौका एवं कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ट 'ब' तैयार कर तरमीम दुरस्त करने हेतु समस्त खातेदारों की आपसी सहमति अनुसार परिशिष्ट 'ब' तैयार किया गया।

मौके पर मौका एवं नामान्तरणकरण व लट्ठा ट्रेस से मिलान कर पूर्णतया जाँच कर परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किया जाना उचित है।

फर्द मौका, मौके पर तैयार कर उपस्थित मौतबरान को पढ़कर सुनाई गयी एवं हस्ताक्षर करवाये गए।

16/2/26
ILR बामड़ला

C.S.
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:13 IST
Reason: SelfAttested

अ.नि.
मालाराम

अ.नि.
गङ्गाराम

... - नक्शा ट्रेसवार

मौजा - भवानीपुरा

पैमाना - 1" = 20 गट्ठा

परिशिष्ट "अ"

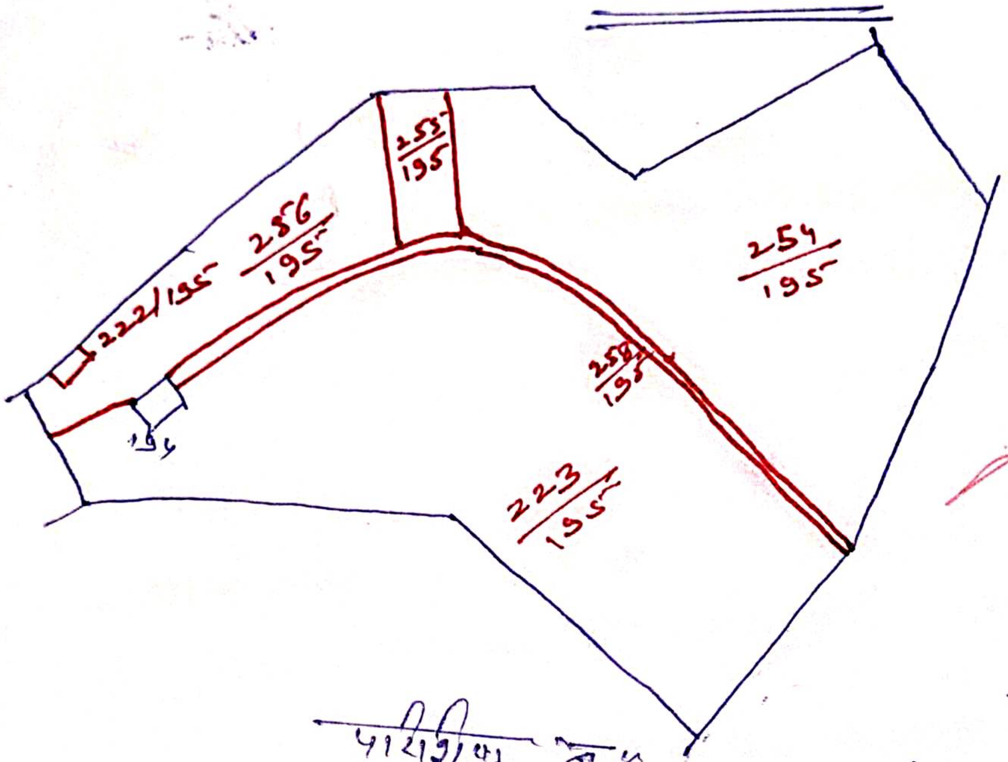

परिशिष्ट "ब"

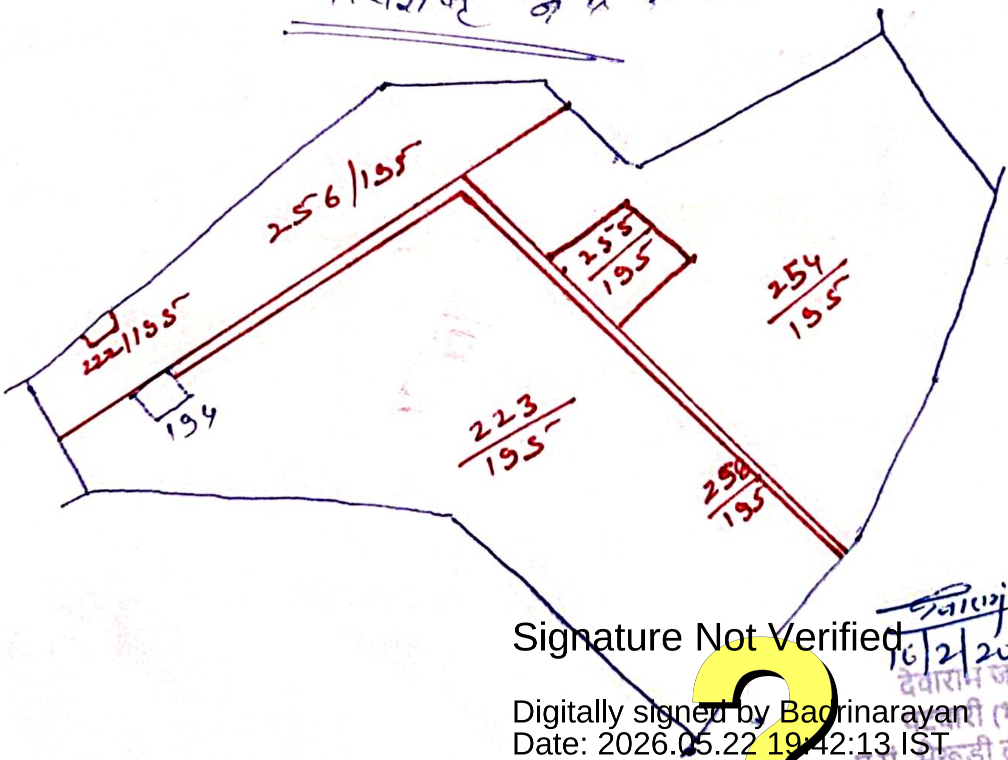

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

16/2/2026
देवाराम जाखड़
... (भू.अ.)
प.म. भरूड़ी तह.-सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:13 IST
Reason: SelfAttested

16/2/26
ILR सामहला

अं.नि.
भीमाराम

अं.नि.
बाबूराम